153/2011

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597075

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

विजयमल, चन्द्रमणि, सुनैना देवी द्वारा ट्रस्ट की स्थापना कर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत।

ट्रस्ट का नाम — तपेश्वर, धर्मेश्वर, प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट (न्यास)

पता — मोलनापुर (मिश्रौली)
पोस्ट — मोलनापुर (दुबारी)
तहसील — मधुबन
जिला — मऊ (उ0प्र0) — 221601

मुख्यालय— पंजीकरण कार्यालय तपेश्वर, धर्मेश्वर, प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट (न्यास) मोलनापुर, तहसील मधुबन जिला—मऊ (उ0प्र0) आवश्यकतानुसार उपरोक्त मुख्यालय को अन्य उचित जगह समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य —

(1) ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न—भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थायें यानी प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा संस्थान आदि की स्थापना कर ग्रामीण अंचल के मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ—साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया करना है। पौढ़ शिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व विभिन्न खेलों का देश—प्रदेश के कोने—कोने में प्रकाश फैले, इसके लिए हर सम्भव उपाय करना/स्थापना करना ट्रस्ट का लक्ष्य है।

(2) प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाइप शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगिता शिक्षा, निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना।

(3) समाज के मूक—वाधिरो, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं—वृद्धों तथा निराश्रितों, बेरोजगारों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान एवं कल्याण हेतु कार्य करना।

(4) महिलाओं और पुरुषों की ब्यूटीशियन से सम्बन्धित जानकारी देना तथा स्वास्थ्य रक्षा हेतु निःशुल्क शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा आदि का प्रशिक्षण दिलाने के व्यवस्था करना।

Vijaymal चन्द्रमणि सुनैना देवी

क्र० सं०..... स्टाम्प विक्रय की तिथि 9-2-11

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..... बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

इस्तआवधि 100 ला० की अवधि 31 मार्च 2001

शंकर यादव स्टैम्प विक्रेता

ला० सं० 30/310 तह०—मधुबन (मऊ)

स्टाम्प
कोषागार – मऊ
दि. 25 JAN 2011 (3)
S.C. MAU
Sr.T.O. MAU

बैनामा.......... मु० एडि०.......... उपरत्न.......... योग.......... शेष..........

श्री ....
नि०.......... मधुबन
जिला मऊ ने कार्यालय उ० नि० मधुबन
में आज दिनांक .... के
बीच पेश की।

उ० नि०

1-2-2011

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597076

(4) महिलाओं और पुरुषों की ब्यूटीशियन से सम्बन्धित जानकारी देना तथा स्वास्थ्य रक्षा हेतु निःशुल्क शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा आदि का प्रशिक्षण दिलाने के व्यवस्था करना।

(5) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उ0 प्र0, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग की स्थापना/संचालन व प्रचार–प्रसार करना।

(6) समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड कपार्ट, अवार्ड, सिडवी, मानव, संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, ड्वाकारा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव फाउन्डेशन, नीराड, आक्सकेम इण्डिया, केयर, राष्ट्रीय महिला, कोष विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं विकलांग कल्याण निदेशाल, उ0प्र0/केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यकमों का प्रचार–प्रसार एवं संचालन करना।

(7) हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार–प्रसार करना तथा साहित्यिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक, कलात्मक तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बालक/बालिकाओं को आदर्श नागरिक बनाना।

(8) पर्यावरण संरक्षरण, नशामुक्त, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यकम, प्रदूषण नियन्त्रण, ऊसर–बंजर भूमि सुधार, बागवानी विकास वैकल्पिक ऊर्जा विकास, पशु–पक्षी (जीव–जन्तु) संरक्षण, गौ संरक्षण, फल प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण, भूमि एवं जल प्रबन्धन मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, दुग्ध विकास आदि कार्यकमों का प्रचार–प्रसार व संचालन करना।

(9) महिलाओं/बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई बुनाई, शिल्प कला, संगीत, नृत्य, ब्यूटीशियन फैशन डिजाइनिंग, चिक जरा, डाल मेकिंग फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

सुनीता देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597077

(10) जनहितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, मूक–वाधिर विद्यालय, विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय, ब्लाइन्ड स्कूल, छात्रावास, व्यायामशाला, गौशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, पालन गृह, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी आदि की स्थापना व संचालन करना।

(11) एड्स, कैन्सर, टी0वी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरुकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरुक करना।

(12) दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्नि, काण्ड, भूकम्प, ओला, वृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

(13) कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यन्त्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई, के साधन तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषकों को दिलाना जिससे कृषि उपज को बढ़ावा मिल सके।

(14) राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रम को संचालित करना तथा लोगों में बचत की भावना जागृत करना।

(15) नई युवा प्रतिभाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाना।

(16) ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के शिशु टीकाकरण एवं अन्य टीकाकरण हेतु कार्य प्राप्त करना कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व संचालन करना। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा एड्स निवारण व कैंसर नियन्त्रण हेतु प्रचार–प्रसार करना तथा विभिन्न स्थानों पर परामर्श केन्द्र स्थापित करना तथा मातृ–शिशु कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।

सुनैना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597078

(17) सामुदायिक स्वास्थ्य सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागृति पैदा करना तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को प्रचार–प्रसार करना।

(18) भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड, चेन्नई द्वारा सचालित जीव जन्तु एवं गोरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार व संचालन करना एवं गौशालाओं की स्थापना व संचालन करना।

(19) विज्ञान प्रोद्योगिकी एवं टेक्नोलाजी का प्रचार–प्रसार करना तथा इससे सम्बन्धित कार्य करना।

(20) विधवाओ एवं निराश्रित लोगों के सहायतार्थ चेरटी कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(21) विकलांगता अन्धापन, घेंघापन एवं क्षय रोग को दूर करने हेतु निःस्वार्थ कार्य करना तथा जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में निःश्वार्थ जगह–जगह निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना कर चिकित्सीय सेवा एवं निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना।

(22) शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु गामीण क्षेत्र में बाल कल्याण केन्द्र महिला कल्याण केन्द्र, शिशु कल्याण केन्द्र, अनाथालय, बालिका विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, उर्दू मदरसा महिला शिल्प, कला केन्द्र आदि की स्थापना व संचालन करना।

(23) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये गये उन कार्यक्रमों को पूर्ण करने में सरकार की मदद करना। जिससे समाज का उत्थान हो। चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र जैसे शिक्षा–स्वास्थ्य पर्यावरण आदि।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता–

तपेश्वर, धर्मेश्वर प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21,1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत निस्पादित किया जा रहा है। इस न्याय पर भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597079

तधरायें/नियम/उपनियत लागू होगें। जो इस न्यास के हेतु आवश्यक है। जो न्यायिक विधा में व्यवहृत व मान्य है। इस न्यास उक्त नियमों/उपनियमों के अनुपालन में प्रतिबद्ध है।

ट्रस्ट का स्वरुप

क्र0सं0	नाम	पता	पद	पेशा
1	विजयमल यादव पुत्र स्व0 धर्मेश्वर यादव	ग्राम–मोलनापुर तहसील–मधुबन जनपद–मऊ	मुख्यसंरक्षक ट्रस्टी	समाज सेवा
2	चन्द्रमणि यादव पुत्र श्री विजयमल यादव	ग्राम–मोलनापुर तहसील–मधुबन जनपद–मऊ	महासचिव	समाज सेवा
3	श्रीमती सुनैना देवी पत्नि श्री विजयमल यादव	ग्राम–मोलनापुर तहसील–मधुबन जनपद–मऊ	संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेविका

पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तब्यः

मुख्य संरक्षक ट्रस्टी : विजयमल यादव पुत्र स्व0 धर्मेश्वर यादव

1– संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2– संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये जाने वाले निर्णय सर्व मान्य होगें।

3– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठको की अध्यक्षता करना।

4– किसी भी विचारणीय विषय पर समानगत होने पर एक निर्णायक मत देना।

विजयमल यादव   [signature]   सुनैना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597080

5– आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6– ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण एवं ट्रस्ट (न्यास)के विकास के लिखे तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों को तत्संम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना, मुख्य संरक्षक ट्रस्टी कर्तब्य होगा।

8– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिये भूमि भवन का कय–विकय लीज (पटटा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।

9– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने निष्कासन करने एवं पदोन्नत आदि का पूर्ण अधिकार सचिव संस्थापक ट्रस्टी को होगा।

10– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजना प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त प्रकार के कार्यो का संपादन करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी– चन्द्रमणि यादव पुत्र श्री विजयमल यादव

1– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संपादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2– बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3– ट्रस्ट (न्यास) की उन्नति के लिए निर्देश देना।

4– नये सदस्यों के लिए रसीद जारी करना।

5– अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होगें।

6– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिये

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597082

संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक दोनो के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी : साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठक में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्यहित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थ रहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग : ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।
(1)– साधारण सभा (2)– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा :

गठन साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें : 1– सामान्य बैठकें ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार मार्च माह में होंगी।
2– विशेष बैठक आवश्कता पड़ने पर दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर साधारण सभा बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टें की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टीयों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशनः– साधारण सभा विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तब्य :– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखितम कर्तब्य होगें।
अ– वार्षिक आय– ब्यय चेक करना।
ब– ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट

सुनैना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597084

निश्चित करना।

स– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के समिति के अधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

द– ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिये समय–समय पर उनके कार्य को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें एक संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एक महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एवं सदस्य ट्रस्टी चार होगें।

बैठके : प्रबन्धकारिणी सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी

सामान्य : ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलाएगा।

विशेष : विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति को महासचिव बुलाएगा।

सूचना अवधि : साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति को महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति को महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घण्टें की सूचना पर बैठक बुला सकता है।सूचना दस्ती, अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : यदि कोई सदस्य कार्यालय के अस्विाभाविक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों में से सदस्य मनोनित कर सकता है।

सुनैना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 597083

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तब्य : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तब्य होगें–

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्ध करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
4. आय–ब्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकिया :–

समय – समय परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) नियमावली में संशोधन कर सकती है।नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष:–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्य के पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी। जो किसी राष्ट्रकृति बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी महासचिव संस्थापक ट्रस्टी संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय–ब्यय का लेखा परीक्षण:–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था के आय–ब्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व:–

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा। जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्ति कर सकते है।

25. (न्यास) के अभिलेख:–

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे सस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक आदि कोषाध्यक्ष संस्थागत ट्रस्टी के पास होगें।

सुनैना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 872501

26. तपेश्वर, धर्मेश्वर, प्रसाद, समाज सेवा ट्रस्ट (न्यास) के पास से 50,000/– (पचास हजार) उपलब्ध है।

27. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28. ए. हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर, हाई स्कूल, इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय, प्राविधिक कालेज की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

29. बी. संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80 जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

30. सी. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले तमाम लोगों को लाभान्वित करना आदि।

दिनॉक–

दस्तखत गवाह–1

मशविराकर्ता

उमेशचन्द्र यादव पु० श्रीरामानन्द यादव

ग्राम पाल्हनपुर, तहसील- सदर

आजमगढ़

सुनैना देवी

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा -९0 के अनुपालन हेतु

फिगंर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तूतकर्ता /विकेता नाम व पता :– विजयप्रताप पाण्डेय

....बायें हाथ

के अगुलियों के चिन्ह :–

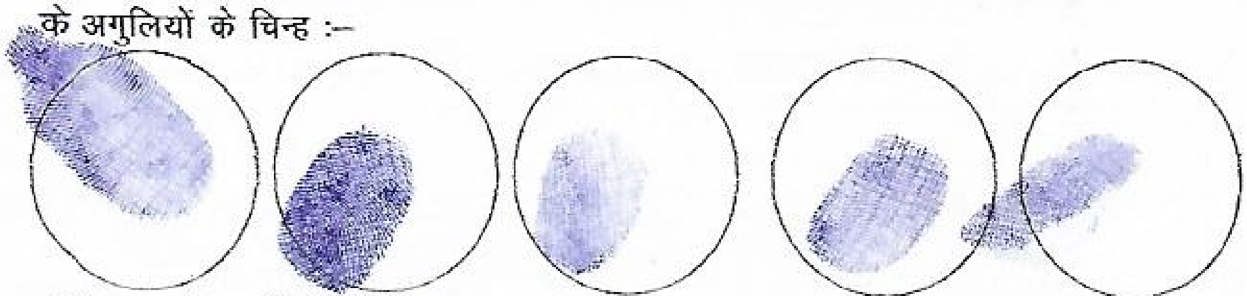

दाहिने हाथ के अगुलियों के चिन्ह :–

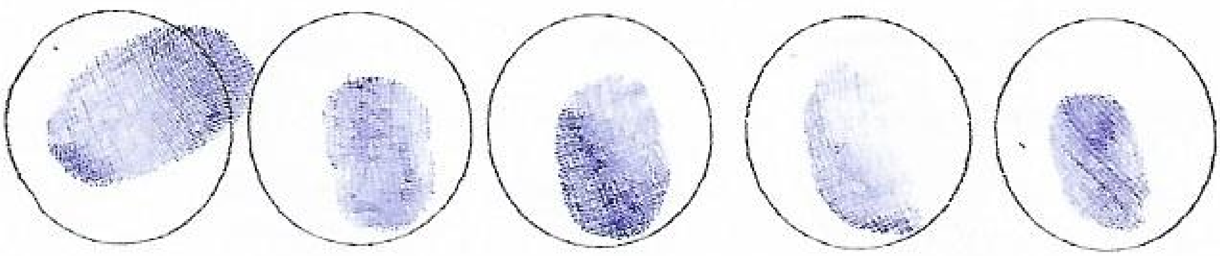

प्रस्तुतकर्ता / विकेता / केता के हस्ताक्षर

विकेता /केता नाम व पता :– चन्द्रमणि पाण्डेय

....

बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह :–

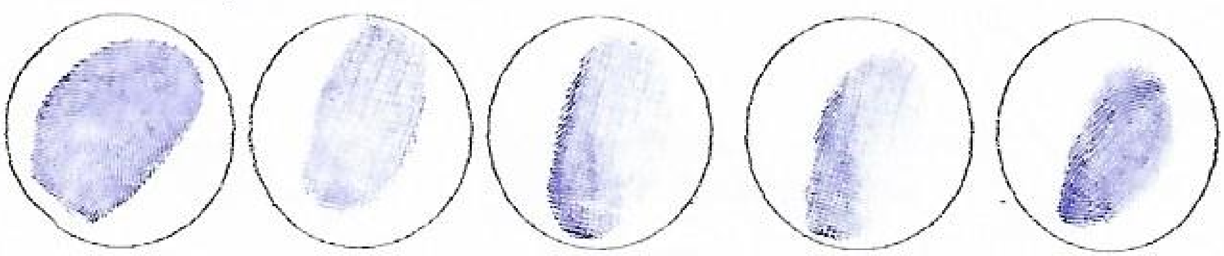

दाहिने हाथ के अगुलियों के चिन्ह :–

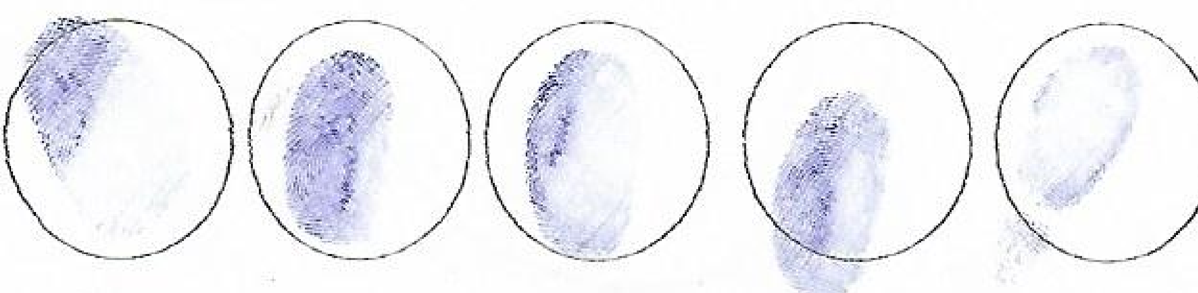

विकेता / केता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा -ए0 के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता /विक्रेता नाम व पता :– सुनैना देवी

....बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह :–

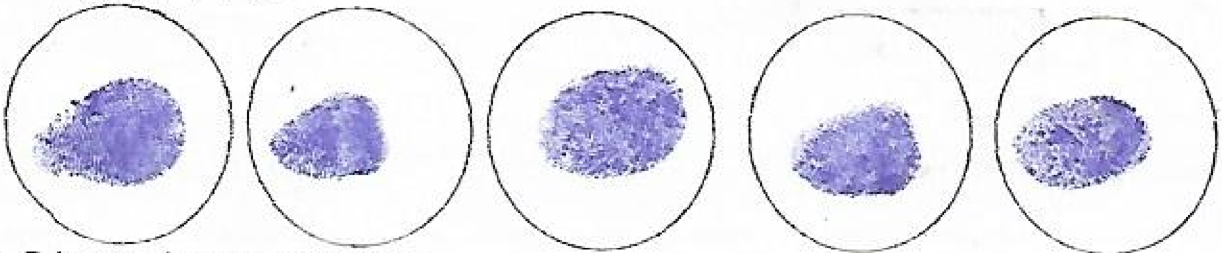

दाहिने हाथ के अगुलियों के चिन्ह :–

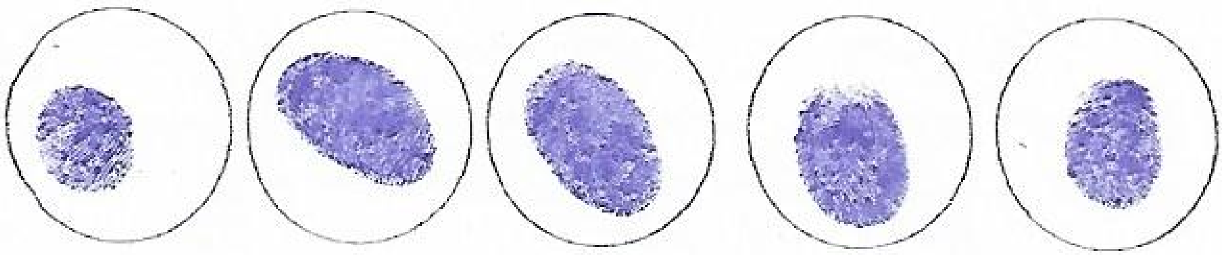

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / केता के हस्ताक्षर

सुनैना देवी

विक्रेता /केता नाम व पता :– ....

....

बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता / केता के हस्ताक्षर

अभय फोटो स्टेट, तहसील–मधुबन ,मऊ

क्र सं० 357 स्टाम्प विक्रय की तिथि 9-2-11
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...
... 22 ...

अनुज्ञप्ति 50 ला० की अवधि 31 मार्च 20..।

शंकर यादव स्टाम्प विक्रेता
... 20/310 ...

स्टाम्प
कोषागार - मऊ
दि. X 4 JAN 2011 (3)
M.C. MAU SR.T.O. MAU

आज दिनांक 9.2.2011 को कोड़ी स्टेट प्रति
पुस्तक संख्या I खण्ड 348 के पृष्ठ 119-142
पर क्रम सं० 153 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उ० नि०